/ \

संख्या- 395/1-11-2016-7(जी)/2016टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा तथा कानपुर नगर ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2015-16 में सूखे से रबी फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 में सूखे से रबी फसलों को हुई क्षति का विवरण जनपदों से प्राप्त कर रबी सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था । इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि भारत सरकार से इस मद में प्राप्त धनराशि को प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल **रू0 6,22,76,00,000/- (रूपये छः अरब बाईस करोड़ छिहत्तर लाख मात्र)** संबंधित जिलाधिकारी को निम्नानुसार स्वीकृत करते हुये उनके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु				
क0सं0	जनपद का नाम	क्षेत्रफल जहाँ 33 प्रतिशत या उससे अधिक सिंचित एवं असिंचित फसलों की क्षति हुई है (हे0 में)	जनपदों द्वारा मांगी गयी धनराशि (रू0 में)	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (रू0 में) (मांग के सापेक्ष 98.68 प्रतिशत)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	हमीरपुर	100813	1259497300	1242911663
2	जालौन	55733.3	652637286	644062201
3	चित्रकूट	73106.112	803013366	792453319
4	बांदा	144621	1602214700	1581105193
5	महोबा	34213	461875500	455818470
6	कानपुर नगर	6573.45	44699460	44149154
		415059.862	**4823937612**	**4760500000**

Scanned by CamScanner

लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषको (02 हे0 से ऊपर वाले कृषकों) हेतु						
क0सं0	जनपद का नाम	किसानों की संख्या		क्षेत्रफल जहाँ 33 प्रतिशत या उससे अधिक सिंचित एवं असिंचित फसलों की क्षति हुई है (हे0 में)	जनपदों द्वारा मांगी गयी धनराशि (रू0 में)	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (रू0 में) (मांग के सापेक्ष 60.77 प्रतिशत)
		असिंचित	सिंचित			
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर	304	24385	54485	662529400	402627893
2	जालौन	8941	14496	32406.3	356182175	216460685
3	चित्रकूट	5772	8946	32242	313241200	190365454
4	बांदा	9572	22985	69177	750774200	456254258
5	महोबा	0	12137	58755	327699000	199151459
6	कानपुर नगर	270	0	669.466	3672000	2240251
		24859	**82949**	**247734.766**	**2414097975**	**1467100000**

2- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3- लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देयता की 98.68 प्रतिशत धनराशि तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों (02 हे0 से ऊपर वाले कृषकों) को उनकी क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देयता की 60.77 प्रतिशत धनराशि दी जायेगी।

4- प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान मद में स्वीकृत की गयी धनराशि का विवरण शासनादेश संख्या-357/1-11-2016-रा0-11, दिनांक 24.08.2016 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रारूप पर 15 दिन के अन्दर राहत की बेवसाइट एचटीटीपी// राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा:-

3

Scanned by CamScanner

जनपद.............. तहसील.............. गॉव..............

क्रम संख्या	किसान का नाम	क्या कृषक लघु सीमान्त है? हां या ना	क्षेत्रफल जिसके लिये सहायता दी गयी है	दी गयी धनराशि	धनराशि दिये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6

5- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय । अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

7- राष्ट्रीय/राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।

8- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

9- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

10- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

11- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये उक्त तिथि तक इसे. राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0. एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

Scanned by CamScanner

12- राष्ट्रीय/राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

13- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

14- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:-395 (1)/1-11-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव ।

Scanned by CamScanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-19/09/2016

प्रेषण संख्या:- 077

आवंटन आदेश संख्या:- 077-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	46389405 79049405	46389405 79049405
2	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	860522886 879457886	860522886 879457886
3	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1645539556 1696310556	1645539556 1696310556
4	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2037359451 2542877451	2037359451 2542877451
5	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	654969929 1104617929	654969929 1104617929
6	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	982818773 1242403773	982818773 1242403773
	योग	वर्तमान प्रगामी	6227600000 7544717000	6227600000 7544717000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: अरब बाइस करोड़ छिहत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात अरब चौवन करोड़ सैंतालीस लाख सत्रह हजार

(शिवराम)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner